

न्यायालय:-सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 13/2014

संस्थित दिनांक-01.03.2012

- 1- रामनिवास, पुत्र मूलचन्द्र, उम्र-35 साल,
निवासी ग्राम खुर्द, तहसील गोहद,
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश -----आवेदक
वि रू द्ध
- 1- करणसिंह, पुत्र सरदारसिंह, आयु-25 साल,
निवासी ग्राम वरोद थाना आरोन, जिला गुना चालक
- 2- गंगाराम, पुत्र-नारायणसिंह रधुवंशी
निवासी ग्राम गता थना कचनार,
जिला अशोक नगर, मध्यप्रदेशमालिक
-----अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री राधामोहन शर्मा अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 एक पक्षीय ।

-:- अधि-निर्णय -:-

(आज दिनांक 12 अगस्त, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक को कुल 9,80,000/- रुपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय 12 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मय खर्च के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक क्रमांक-02 बताये गये दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीकृत स्वामी है और उसका नियोजित चालक अनावेदक क्रमांक-1 दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन का चालन कर रहा था ।

3. आवेदकगण का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-10.01.2011 को आवेदक दोपहर 12:10 बजे कृषि उपजमण्डी के उत्तरी गेट अशोक नगर से नया बस स्टेण्ड तरफ जा रहा था। जैसे ही वह गेट से निकला तो सामने से ट्रैक्टर सोनालिका क्रमांक- 08/एफ-3132 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और आवेदक के सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसका दाहिना पैर टूट गया और शरीर में कई चोटें आईं। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को तेजी से भगा कर ले गया। घटना की देहाती नालिशी अशोक नगर थाने में लिखी गई जो अपराध क्रमांक 118/11 पर दर्ज हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर का चालक करणसिंह एवं मालिक गंगाराम रघुवंशी हैं। गंभीर चोट के आधार पर धारा-279, 337 भा0दं0सं0 का मामला दर्ज किया गया। दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक का इलाज सर्वोदय अस्पताल ग्वालियर एवं ट्रामा सेन्टर ग्वालियर में चला। जहाँ उसका इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर आदि में करीब दो **लाख रुपये** खर्च हुए और तीस हजार रुपये देखरेख, खानपान में तथा दस हजार रुपये आवागमन में खर्च हुए तथा उसके पुत्र के पैर में अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए पांच लाख रुपये, तथा मानसिंह एवं शारारिक पीड़ा के मद में पचास हजार रुपये, सर्जिकल व्यय में एक लाख रुपये तथा कुल 9,80,000/-रुपये अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अनावेदकगण सम्यक् तामील उपरान्त उपस्थित हुए तथा दिनांक 29.10.2012 को अनुपस्थित हो जाने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। उनकी ओर से आवेदक के अभिवचनों व दस्तावेजों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।

05. विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

‘क्या आवेदक का आवेदन पत्र धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 स्वीकार किए जाने योग्य है? यदि हाँ तो किस सीमा तक?’

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

06. इस संबंध में आवेदक की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है उसमें स्वयं आवेदक रामनिवासव (आ0सा01) ने अपनी एक पक्षीय साक्ष्य में दिनांक 10.01.2011 को दोपहर करीब 12:00 बजे कृषि उपजमंडी, अशोक नगर मध्यप्रदेश के उत्तरीगेट की घटना बताते हुए यह कहा है कि नये बसस्टेण्ड तरफ वह जा रहा था और जैसे ही वह गेट तरफ पहुंचा तो सामने से करनसिंह सोनालिका ट्रैक्टर लेकर आया और उसे टक्कर मार दी थी, जिससे ट्रैक्टर का अगला पहिया उसके दाहिने पैर के उपर से निकल गया था जिससे दाहिना पैर

पूरी तरह टूट गया था और वह बेहोश हो गया था। ट्रेक्टर मौके पर रुक गया था, ड्रायवर करनसिंह रुका या नहीं उसे गैरहोश हो जाने से पता नहीं है। ट्रेक्टर अशोक नगर के गंगाराम रघुवंशी का होना उसे बाद में पता चला था। मौके पर पुलिस आई थी और उसे उठाकर ले गई थी तथा उसे अशोक नगर अस्पताल में भर्ती कराया था जहां उसे प्लास्टिका बंधा था और ग्वालियर रेफर किया गया था। उसका ग्वालियर के सर्वोदय अस्पताल में इलाज हुआ था जहाँ वह 17-18 दिन भर्ती रहा था और उसके बाद उसका घर पर रहकर एक-डेढ़ महिने इलाज चला था, जिसमें करीब डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ था।

07. आवेदक रामनिवास ने यह भी बताया है कि दुर्घटना के पहले वह ट्रेक्टर ड्रायवरी करता था और उसे 6000/-रुपये मासिक वेतन मिलता था, जो अब नहीं मिल पा रहा है और वह कोई काम नहीं कर पा रहा है, जिससे उसे 6000रुपये मासिक नुकसान हो रहा है। दुर्घटना के पहले ट्रेक्टर की ड्रायवरी एवं खेतों की जुताई- बुआई का काम वह करता था।

08. रामनिवास (अ0सा01) का यह भी कहना है कि दुर्घटना के संबंध में उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी जिसका अभियोग पत्र प्रदर्श पी-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2, मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-3, नक्शा मौका प्रदर्श पी-4, सूचना प्रदर्श पी-5, देहाती नालिशी प्रदर्श पी-6, ड्रायवर करनसिंह से जब्त हुए ट्रेक्टर और उसके कागजात रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसेन्स का जब्ती पत्र प्रदर्श पी-7, ट्रेक्टर गंगाराम की सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया जिसका सुपुर्दगी आदेश प्रदर्श पी-8, करनसिंह का गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9, एवं ट्रेक्टर की मेकेनिकल जांच प्रदर्श पी-10, ट्रेक्टर सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी-12, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-13, की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उसने पेश की हैं तथा इलाज हेतु खर्चों के बिल और पर्चे की मूल प्रतियाँ प्रदर्श पी-14 लगायत 29 एवं जिला चिकित्सालय अशोक नगर का ओ0पी0डी0 पर्चा प्रदर्श पी-30, जे0ए0 अस्पताल में जांचों में हुए खर्चों की रसीद प्रदर्श पी-31 एवं 32, ऑपरेशन में हुए खर्च के बिल और रसीद प्रदर्श पी-33 लगायत 36, तथा डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी-37, और विकलांगता प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-38 पेश करते हुए यह कहा है कि उसे डाक्टरों के द्वारा बताया गया कि अब वह पहले जैसा काम नहीं कर सकता है वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी तथा 3 लड़के और दो लड़की हैं, जिनमें से एक लड़की की शादी हो चुकी है।

09. स्थाई विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने वाले जिला मेडीकल बोर्ड के मेडीकल विशेषज्ञ सदस्य डा0 जे0पी0 गुप्ता, (आ0सा02) ने दिनांक 05.08.2011 को विकलांगता शिवर, गोहद में आहत रामनिवास पुत्र मुरलीधर उर्फ मूलचन्द्र, आयु 38 साल को स्थाई विंगलांगता प्रमाणपत्र जारी करना बताया है, जिसके ए से ए भाग पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर और आहत का फोटो लगा होना बताते

हुए विकलांगता दुर्घटनात्मक स्वरूप की होना बताया है।

09. अभिलेख पर आवेदक की और से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है, उसका आवेदकगण की और से कोई खण्डन नहीं है, जिससे उन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। न्यायिक रूप से साक्ष्य एवं दस्तावेजों को अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि दिनांक 10.01.2011 को दोपहर करीब 12:00 बजे कृषि उपजमण्डी के उत्तरी गेट, अशोक नगर में आवेदक रामनिवास पुत्र मूलचन्द्र जो कि मजदूर पेशा व्यक्ति है, जिसने अपनी आयु 35 वर्ष बताई है, उसको सोनालिका ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.08/एफ-3132 से एकसीडेन्ट होना और उसके चालक अनावेदक क्रमांक-1 होना प्रदर्श पी-1 के अभियोग पत्र, प्रदर्श पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी-4 का नक्शा मोका, प्रदर्श पी-5 की दुर्घटना की सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी-6 की देहाती नालिशी, प्रदर्श पी-7 का जब्तीपत्र, तथा प्रदर्श पी-9 का गिरफ्तारी पंचनामा तथा दुर्घटनाकारी ट्रेक्टर अनावेदक क्रमांक 2 का होने का जब्ती पत्र प्रदर्श पी-7, प्रदर्श पी-8 सुपुर्दगी का रिहाई आदेश, प्रदर्श पी-11 सुपुर्दगी पंचनामा, प्रदर्श पी-12 सुपुर्दगीनामा से होता है।

10. उक्त दुर्घटना में आवेदक के दाहिने पैर में गंभीर किस्म की चोट कारित होना प्रदर्श पी-3 की मेडीकल रिपोर्ट, प्रदर्श पी-13 एवं 37 के डिस्चार्ज टिकट से प्रमाणित होती है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि आहत रामनिवास को ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.08/एफ-3132 के चालक द्वारा उपेक्षा पूर्वक एवं उतावलेपन से चलाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित हुई जिससे उसके दाहिने पैर में फीमर नाम हड्डी में अस्थिभंग की चोट आई और दुर्घटना दिनांक 10.01.2011 से दिनांक 26.01.2011 तक सर्वोदय हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, ग्वालियर में इलाजरत रहा है। प्रदर्श पी-14 लगायत 37 के दस्तावेजों से उसका दुर्घटना में आई चोटों का उपचार के दौरान दवाईयों मेडीकल जांचों में हुए खर्च का प्रमाण मिलता है, जो बिल रसीदें आदि पेश की गई हैं उनके आंकलन से उपचार अवधि में आवेदक द्वारा 54,736/रुपये व्यय किया गया है तथा प्रदर्श पी-38 से उसकी शारारिक रूप से स्थाई क्षति चिकित्सक द्वारा 40 प्रतिशत आंकलित की गई है। आवेदक का स्थाई रूप से अयोग्यता का पात्र होना धारा 2(i) पर्सन्स विथ डिसएबिल्टी एक्ट 1995 के तहत पाया जाता है।

11. इस प्रकार उक्त दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य से आवेदक की शारारिक क्षमता में स्थाई रूप से कमी आना प्रमाणित होता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रदर्श पी-38 के अनुसार जो स्थाई विकलांगता बताई गई है उससे आवेदक की धनपार्जन क्षमता में कितनी कमी आई तथा विकलांगता चिरस्थायी मानी जावे अथवा आंशिक चिरस्थायी। इस संबंध में आवेदक के जो अभिवचन और साक्ष्य है उसमें यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है कि

आवेदक दुर्घटना के पहले ट्रेक्टर परिचालन करता था और उससे वह 6000/-रुपये मासिक आमदनी बताता है। आवेदक द्वारा अपने ड्रायविंग लायसेंस की फोटो प्रति पेश की गई है लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं कराया गया है, हालांकि अभिवचनों में कोई खण्डन अभिलेख पर न होने से उसे अवलोकन में लिया जावे तो ड्रायविंग लायसेन्स मोटरसायकल विथ गियर के लिए जारी था, भारी वाहन के लिए नहीं तथा अभिलेख पर ऐसा भी प्रमाण नहीं है जिससे आवेदक की 6000/-रुपये मासिक की नियमित आमदनी ड्रायवरी से मानी जावे। ऐसे में जबकि आवेदक दुर्घटना के पूर्व पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति था उस हिसाब से उसकी अनुमानित मासिक आय न्यूनतम 3000/-रुपये मासिक आंकलित की जावेगी। क्योंकि उसे मजदूर पेशा व्यक्ति दुर्घटना के पंजीबद्ध अपराध के अभियोगपत्र में दर्शाया गया है जिसका वह खण्डन भी नहीं करता है। ऐसे में अनुमानित आय के संबंध में **न्यायदृष्टांत श्रीमती गायत्री एवं अन्य विरुद्ध नाथूसिंह एवं अन्य 2009(2)ए.सी.सी0डी.-1013 एम0पी0** अवलोकनीय है।

12. आवेदक की आयु ड्रायविंग लायसेन्स में उसकी जन्मतिथि 10.05.1980 के आधार पर 31वर्ष आंकलित होती है किन्तु आवेदक ने ही अपनी आयु 35 वर्ष आवेदन में उल्लेखित की है जेसा कि प्रदर्श पी-1 लगायत 13 के दस्तावेजों में उल्लेखित किया गया है। इसलिए उसकी उम्र 35 वर्ष निर्धारित की जावेगी और उसके आधार पर ही भविष्य की अर्जन क्षमता में कमी आंकलित की जावेगी।

13. मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति के लिए दांये पैर में स्थाई विकलांगता उसकी धनापार्जन को प्रभावित करती है। स्थाई अयोग्यता का निर्धारण करते समय शारारिक चोटिल अंग में आई कमी को ध्यान में रखना होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चोटों की प्रकरण में क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु **न्यायदृष्टांत राजकुमार विरुद्ध अजयकुमार 2011(1) ए.सी.सी.-343** में मुख्य कदम विश्लेषित किया गया है और जो मार्ग दर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किए गये हैं उसमें यह बताया गया है कि अधिकरण को सबसे पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि आवेदक को कोई स्थाई अयोग्यता आई है और आई तो कितनी जिसके लिए जो मानदण्ड बताया गया है उनमें उन बिन्दुओं पर विचार करके निष्कर्षित करना चाहिए कि क्या अयोग्यता स्थाई है अथवा अस्थई है, यदि स्थाई हो तो क्या वह आंशिक है या पूर्ण स्थाई अयोग्यता है, अयोग्यता का प्रतिशत किस अंक विशेष के संबंध में कितना है और उससे उसके पूरे शरीर पर क्या प्रभाव है अर्थात् पूरे शरीर के मान से अयोग्यता का प्रतिशत कितना है तथा उसको स्थाई अयोग्यता से अर्जन क्षमता प्रभावित हुई है और हुई है तो वह कोन सी गतिविधियाँ कर सकता है और कोन सी नहीं कर सकता है, उसका पूर्व का क्या व्यवसाय था, उसके कार्य की प्रकृति क्या थी और उसकी

आयु क्या थी और आजीविका कमाने में वह पूर्णतः अयोग्य हो चुका था, क्या स्थाई अयोग्यता होते हुए भी वह प्रभावी रूप से कार्य और गतिविधियाँ कर सकता था जो पहले करता रहा है।

14. हस्तगत प्रकरण में आवेदक का ड्रायवर का पेशा बताया गया है कि वह ट्रेक्टर से जुताई-बुवाई करके अपने और अपने परिवार का जीवनयापन करता था। दाहिने पैर का धनोपार्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में उसकी भविष्य अर्जन की क्षमता में कमी यदि न्यूनतम रूप से आंकलित की जावे तो कम से कम 50 प्रतिशत तो मानी ही जावेगी। भविष्य की आमदनी का आंकलन के लिए **मोहन सोनी विरुद्ध रामौतार तोमर ए.आई.आर. 2001 एस.सी.पेज-782 अवलोकनीय है। न्यायदृष्टांत सरला वर्मा विरुद्ध देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन ए.सी0जे.-298 एस0सी0** बताई गई सारणी के आधार पर गुणांक उपयोग में लाये जाने पर 31 से 36 वर्ष की आयु के लिए 16 का गुणांक लगाना होगा और 3000/-रुपये मासिक न्यूनतम आय के आधार पर वार्षिक आय 36000/-रुपये बनती है। 50 प्रतिशत की भविष्य की अर्जन क्षमता की कमी के आधार पर आवेदक की आय 18000/-रुपये वार्षिक निर्धारित होगी, जिसमें 16 का गुणांक लगाये जाने पर भविष्य की अर्जन क्षमता क्षतिपूर्ति की राशि 2,88,000/-रुपये बनती है और 16 दिन अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराने से इलाज के दौरान आमदनी की हानि 1600/-रुपये आंकलित होगी तथा आवेदक ने अभी भी उपचाररत होना बताया है। ऐसे में उसे भविष्य में उपचार मद में कम से कम 10,000/-रुपये दिलाया जाना न्यायोचित होगा और इलाज के दौरान आवागमन, पोष्ट आहार और विविध खर्चों के मदों में 5000/-रुपये की राशि दिलाया जाना उचित होगा क्योंकि आवेदक ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात भी एक साल तक घर से आ जाकर उपचार कराना बताया है तथा गैर वित्तीय हानि में जिसमें शाराशिक व मानसिक पीड़ा और रमणीयता या सोम्यता (लव एवं एफेक्शन)की हानि के शीर्ष में 5000/-रुपये की राशि दिलाया जाना उपयुक्त पाया जाता है।

15. इस प्रकार से आवेदक उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप हुई शाराशिक क्षति व स्थाई अयोग्यता के कारण अनावेदकगण से दुर्घटनाकारी चालक व मालिक होने से संयुक्तः व पृथक्तः कुल क्षतिपूर्ति राशि 3,64,336 (तीन लाख चौसठ हजार तीन सौ छत्तीस) एवं उस पर एवार्ड दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज वसूलने का अधिकारी पाया जाता है।

16. फलतः आवेदक का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर उसके पक्ष में अनावेदकगण क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध निम्न आशय का एवार्ड पारित किया जाता है:-

1. आवेदक अनावेदकगण से संयुक्तः व पृथकतः क्षतिपूर्ति की राशि 3,64,336 (तीन लाख चौसठ हजार तीन सौ छत्तीस) रुपये की राशि तथा एवार्ड दिनांक से 12 प्रतिशत साधारण ब्याज पूर्ण अदायगी होने तक प्राप्त करने का अधिकारी है तो अनावेदकगण उसे भुगतान करें अन्यथा आवेदक वैधानिक प्रक्रिया के तहत वसूल करने का अधिकारी होगा।
2. अनावेदकगण आवेदक का प्रकरण व्यय भी संयुक्तः वहन करेंगे। जिसका अभिभाषक शुल्क नियमानुसार जोड़ा जावे।

. तदनुसार अवार्ड पारित किया जाता है। व्यय तालिका बनायी जावे।
दिनांक: 12 अगस्त 2014

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड